

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक लोक सूचना पदाधिकारी, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के रूप में पदाविहित/पदनामित श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, प्रशाखा पदाधिकारी के स्थान पर श्री संजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना को सहायक लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

S. Anwar
31/1/26
सरकार के संयुक्त सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापाक-टी-1/स्था०(5)मु0-172/2005-.....1661.....पटना/दिनांक-03.09.2026
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के सचिव/संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/लोकायुक्त बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग . बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Anwar
31/9/26
सरकार के संयुक्त सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना